बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 316882 पटना, दिनांक 11/07/17

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(लक्ष्य निर्धारण)-115-05/2016

प्रेषक,

राहुल रंजन महिवाल, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
सारण, नालन्दा, खगडिया, वैशाली, सुपौल, शिवहर एवं कटिहार ।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित कोटिवार लक्ष्य के विरूद्ध लक्ष्य का प्रत्यर्पण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विभागीय पत्र संख्या-300490 दिनांक-15.02.17 द्वारा जिलावार एवं कोटिवार लक्ष्य का निर्धारण किया गया था एवं पत्र संख्या-305135 दिनांक-23.03.17 द्वारा लक्ष्य में संशोधन किया गया । आपके जिला द्वारा उक्त विभागीय पत्र द्वारा संसूचित लक्ष्य के अनुरूप जिलान्तर्गत कोटिवार SECC के आधार पर आवास की आवश्यकता वाले परिवार उपलब्ध नहीं होने के कारण निम्न रूप से लक्ष्य का प्रत्यर्पण किया गया है :-

क्र0 सं0	जिला का नाम	कोटिवार प्रत्यर्पित लक्ष्य			पत्रांक/दिनांक
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	
1	सारण	1893	-	1893	329/27.03.17
2	नालन्दा	477			1155/13.06.17
3	खगडिया	4731	42	4773	603/25.05.17 713/13.06.17
4	वैशाली	7044	19	7063	1513/27.06.17
5	सुपौल	5800	150	5950	956/27.06.17
6	शिवहर	3366	17	3383	781/29.06.17
7	कटिहार	3582	3513	7095	1141/28.06.17

उपर्युक्त के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में पुन: विभागीय पत्र संख्या-316207 दिनांक-05.07.17 द्वारा जिलावार एवं कोटिवार प्रतिवर्तित लक्ष्य का निर्धारण कर जिलों को प्रेषित किया गया । अतएव उक्त पत्र के आधार पर ही वास्तविक रूप से प्रत्यर्पित किये जाने वाले लक्ष्य का आकलन आवश्यक है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त विभागीय पत्र संख्या-316207 दिनांक-05.07.17 द्वारा प्रेषित कोटिवार लक्ष्य के आधार पर आवास की आवश्यकता वाले उपलब्ध परिवारों का आकलन करते हुए वास्तविक रूप से कोटिवार लाभुकों के आवास की स्वीकृति के बाद ही प्रत्यर्पित की जाने वाली कोटिवार लक्ष्य का प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

विश्वासभाजन

10/7/17

(राहुल रंजन महिवाल)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 316882 पटना, दिनांक 11/07/17

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

यदि किसी जिला में विभाग द्वारा निर्धारित कोटिवार लक्ष्य से अधिक लक्ष्य की आवश्यकता हो तो एतद् संबंधी प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

10.7.17

सरकार के अपर सचिव